आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील सं0 10/2010** **दिनेश राय बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश**	
19/03/2013	यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा वाद संख्या 17/2010 में दिनांक 20/3/2010 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 26/1/2010 को अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में दुकान बंद पाई गई थी और कई उपभोक्ताओं ने अपीलकर्त्ता के विरुद्ध निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने, निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली करने आदि के आरोप लगाए थे। तदनुसार अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गई और उन्हें सभी अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था। तत्पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित वितरण पंजियों में कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएँ पाई गई और पुनः अपीलकर्त्ता से द्वितीय कारणपृच्छा की गई और अंततः प्रश्नगत आदेश पारित किया गया, जिसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1192/सी0 दिनांक 23/3/2010 के द्वारा अपीलकर्त्ता को दी गई। अपना पक्ष रखते हुए प्रश्नगत आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि निरीक्षण तिथि को उनकी दुकान उनके चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण बंद थी। उन्होंने कहा कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के माध्यम से अवकाश के लिए उन्होंने आवेदन दिनांक 21/1/2010 को दिया था और अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 390 दिनांक 2/2/2010 के द्वारा चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति भी दी गई है। इस प्रकार निरीक्षण तिथि दिनांक 27/1/2010 को दुकान का बंद पाया जाना किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि उसके विरुद्ध फर्जी वितरण पंजी आदि बनाने के आरोप लगाए गए, जो पूर्णतः गलत और तथ्यों के प्रतिकूल हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं का वितरण स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि के समक्ष किया जाता है और प्रत्येक माह वितरण के सत्यापन के पश्चात् ही अगले माह का आवंटन दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई उपभोक्ता जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से नाजायज माँग	

19/3/13

करते हैं और उनकी माँगों को पूरी नहीं करने के कारण उनके द्वारा गलत आरोप लगाए जाते हैं। विशेष रूप से वितरण पंजी की कथित अनियमितताओं के बारे में अपीलकर्त्ता का तर्क है कि कई बार कई परिवार एक ही व्यक्ति के द्वारा आवश्यक वस्तुओं का क्रय करते हैं और इसलिए प्राप्तिकर्त्ता के हस्ताक्षर या अँगूठे के निशान कई कूपन पर एक हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह हो सकता है कि कुछ छोटी-मोटी त्रुटियाँ निरीक्षण में पाई गई हो, किन्तु इनके लिए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करना पूर्णतः अवैधानिक होगा।

राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने अपीलकर्त्ता के दलीलों का प्रतिकार करते हुए कहा कि यह सही है कि निरीक्षण तिथि को अपीलकर्त्ता पूर्व स्वीकृत चिकित्सा अवकाश में थे, किन्तु उनके अभिलेखों की सघन जाँच में कई प्रकार की आपराधिक अनियमितताएँ सिद्ध हुई हैं, जिसका बिन्दुवार एवं विस्तृत उल्लेख अनुज्ञापन पदाधिकारी ने अपने आदेशों में किया है, जो निम्न न्यायालय के अभिलेख में अंकित हैं। अपीलकर्त्ता से दो बार कारणपृच्छा की गई और उन्हें अपने सभी साक्ष्य एवं तर्क रखने का अवसर दिया गया, इसलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का हनन का प्रश्न नहीं उठता है। नैसर्गिक न्याय का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हमेशा व्यक्ति विशेष को न्यायालय के समक्ष खड़ा होकर अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए, बल्कि उसके द्वारा लिखित रूप से दिए गए स्पष्टीकरण या वैधिक परामर्शी के माध्यम से समर्पित किए गए अभ्यावेदन आदि भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः अनुरूप हैं।

दोनों पक्षों को सुना तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख सहित पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। यह सही है कि निरीक्षण तिथि को अपीलकर्त्ता की दुकान बंद थी और निर्धारित सूचनापट्टों में कुछ तकनीकी त्रुटियाँ थी। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध इन आरोपों के कारण प्रश्नगत आदेश पारित नहीं किया गया है। वस्तुतः प्रथम कारणपृच्छा के उपरान्त समर्पित वितरण पंजी में अनुज्ञापन पदाधिकारी ने कई प्रकार की गंभीर आपराधिक विसंगतियाँ पाई थीं, जिसके कारण अपीलकर्त्ता से द्वितीय कारणपृच्छा की गई। अनुज्ञापन पदाधिकारी ने द्वितीय कारणपृच्छा का विस्तार से साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण किया है। यह मानने के बाद भी कि कई उपभोक्ताओं के द्वारा एक व्यक्ति विशेष को अधिकृत कर आवश्यक वस्तु का उठाव किया जाता है, सभी विसंगतियाँ उत्तरित नहीं होती है। उदाहरण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने कूपन और वितरण पंजी पर अंकित हस्ताक्षर में गंभीर भिन्नताएँ पाई। अक्टूबर, 2009 माह की किरासन तेल की वितरण पंजी के क्रमांक 76, 99, 121, 217, 218, 235, 236, 242, 243, 472, 473 एवं 492 पर अंकित हस्ताक्षर और संगत कूपन पर अंकित हस्ताक्षर भिन्न है। यह वितरण पंजी के फर्जी होने का अकाट्य प्रमाण है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन पदाधिकारी ने एक ही कूपन क्रमांक पर

15/3/17

अलग–अलग उपभोक्ताओं के अंकित किए जाने आदि के विशिष्ट प्रमाण दिए हैं, जो उनके आदेश में अंकित हैं।

स्पष्टतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य का गहन परीक्षण कर वस्तुनिष्ठ आदेश पारित किया गया है, जो न केवल विस्तृत है बल्कि विशिष्ट भी है। अपीलकर्त्ता का यह दलील भी वैधानिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है कि कई उपभोक्ता किसी एक व्यक्ति विशेष को अधिकृत कर उठाव कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कूपन अहस्तांतरणीय हैं, जैसा कि कूपन पर भी स्पष्ट रूप से अंकित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मुझे प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति नहीं दिखती है। अतः इसके साथ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह०/- 5/3/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ह०/- 5/3/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______/विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को उनके पत्रांक 3017 दिनांक 17-8-10 द्वारा अभिलेख संख्या-17/2010 संलग्न कागजात के साथ प्राप्त हुआ था को मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- अभिलेख सं०-17/2010
श्री दीनेश राय,
चौरे पं., मढ़ौरा में
संलग्न अन्य सभी
कागजात।

ह०/-
वरीय उपसमाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 901 / विधि, दिनांक 2-4-2013

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
वरीय उपसमाहर्ता,
प्रभारी विधि शाखा
(सारण, छपरा)
30/3/13